न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

I.D No. UP 5743

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–328 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–239 / 2026

(CNR UPLP 01005050-2026)

1–अरविन्द कुमार उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र रामपाल

2–अशोक कुमार उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र रामपाल

3–मानू उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र रामपाल

निवासीगण ग्राम बबक्करपुर, बहादुरगंज, गफ्फारनगर, थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–328 / 2026

धारा 333, 115(2), 118(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0

थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

20.07.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण अरविन्द कुमार, अशोक कुमार व मानू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–328 / 2026 धारा 333, 115(2), 118(1), 352, 351(2) बी0एन0एस0 थाना मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा अमिता देवी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने पर दिनांक 08.06.2026 को इस आशय की अंकित करायी कि घटना दिनांक 08.06.2026 को सुबह करीब 7:30 बजे की है। पड़ोस के ही अरविन्द, मानू, अशोक पुत्रगण रामपाल, गोलू पुत्र अरविन्द ने रास्ते के विवाद को लेकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालिया दी, मना करने पर विपक्षीगण ने लाठी डन्डा, फावड़ा व धारदार हथियार से उसे काफी मारा पीटा, जिससे उसके सिर मे थोड़ी व दाहिनी कोहनी मे काफी गम्भीर चोटे आयी है उक्त लोगो ने उसे उसके घर मे घुस

कर मारा जब उसका पति कन्हैयालाल ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हे भी काफी मारा पीटा जिससे उसके पति के बाए हाथ की उॅगली मे चोट आयी। वादिनी की उक्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4— अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। चोटहिलो को चोटे साधारण प्रकृति की है अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अति विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की समाज मे अच्छी छवि है प्रार्थी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी उचित अग्रिम जमानत देने को तैयार है तथा दौरान मुकद्मा विचारण अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आंशका दर्शित करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने अन्य सह अभियुक्त के साथ मिल कर वादिनी के घर मे घुस कर चोटहिलो को मारा पीटा गया जिससे उनके गम्भीर चोटें आयीं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि मामले मे चोटहिलो को आई चोटे साधारण प्रकृति की है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित समस्त धाराए मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। चोटहिलो के शरीर पर कोई प्राणघातक चोट नही आयी है न ही चोटहिलो के शरीर के किसी मर्म भाग पर चोट कारित हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है।

8— अतएव मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार

किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण अरविन्द कुमार, अशोक कुमार व मानू द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को मु0 75,000/–रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1–आवेदक/अभियुक्तगण आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

2–आवेदक/अभियुक्तगण दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

3–आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर आवेदक/अभियुक्तगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 11:11:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court